तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/11/23	पत्रा० आज पेश हुई। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अतः दावा वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नं० 216/0.44 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर वादीगण को राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप 10 पुनर्वास विभाग के परिपत्र प.2(15) राज.-पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 30.03.12 के अनुसरण में नियमानुसार [illegible] सं. 395 के अनुसार राशि राजकोष में जमा करा वादी को जरिये रजिस्टर्ड बयाननामा दिनांक 13/06/72 के अनुसार डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादी के नाम हो रहे इन्द्राजात को निरस्त करते हुए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रा० फैसल शुमार होकर नक्शा से कमी की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) नदबई राज	

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री सुशीला मीणा,आर.ए.एस
राजेन्द्रसिंह बनाम लक्ष्मीबाई वगै0

दावा बाबत् 88,89 राज0 का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 2019/00371

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बरान 216/0.44 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर वादीगण को राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप 10 पुनर्वास विभाग के परिपत्र प 1 (15) राज–पुनर्वास/2009 जयपुर दिनॉक 30.03.2012 के अनुसरण में नियमानुसार बिन्दु संख्या 3 व 5 के अनुसार राशि राजकोष में जमा कर वादी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनॉक 19.06.1972 के अनुसार डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादी गणों के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन करते हुए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमें के बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

बसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16.11.2023 को जारी की गई ।

दस्तखत चक कलेक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

1 राजेन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

—वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीबाई बेवा श्री हुक्कूमल जाति सिन्धी निवासी पहररसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. शीतलदास पुत्र श्री हुक्कूमल जाति सिन्धी निवासी पहररसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. आसनदास पुत्र श्री हुक्कूमल जाति सिन्धी निवासी पहररसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार उप तहसील लखनपुर।

—प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर)राज0
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुशीला मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः— 2019/00371
किस्म प्रकरण :— दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांकः— 16.11.2023

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

—वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीबाई बेवा हुक्कूमल जाति सिन्धी निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2. शीतलदास पुत्र श्री हुक्कूमल जाति सिन्धी निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
3. आसनदास पुत्र श्री हुक्कूमल जाति सिन्धी निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार उप तहसील लखनपुर

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्ता श्री फूलसिंह (वादीगण की और से)

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

निर्णय

दावा वादी निम्न प्रकार पेश है—

1. यह है कि वादी व प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार है—

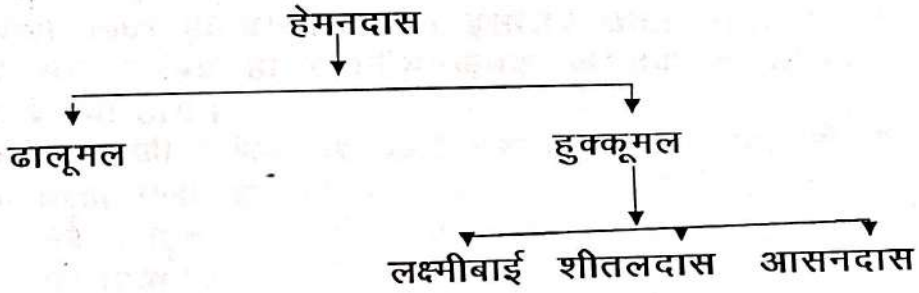

प्रतिवादीगण की वल्दियत ढाकूमल गलत दर्ज जमाबन्दी हाल है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

2. यह कि विवादित आराजी वाके ग्राम पहरसर का ब्यौरा हाल व साविक खसरा नम्बरान के हिसाब से निम्न प्रकार है–

हाल खसरा 216/0.44गत खसरा नम्बरान 2028 162/1बी. 15 विस्वा = 143 /1बी. 3वि.+ 144 1बी.11वि. गत खसरा न0 पूर्व 1988 जिसके हाल रिकॉर्डेड /गैर खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 दर्ज हैं।

3. यह कि विवादित आराज साविक खसरा नम्बर 143 व 144 के मूल एलौटी ढालूमल पुत्र हेमनदास थे जिसका लावल्द औरत देहान्त हो चुका था तथा प्रतिवादी संख्या 01 के पति का देहान्त भी उसके बाद हो चुका था इसलिए उनके वारिसों के रूप में प्रति वादी संख्या 1 लगायात 3 शेष बचे। इसलिए दिनॉक 19.06.1972 को विवादित आराजी का वयनामा वादी के हक में करा दिया तत्समय प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 नावालिग थे इसलिए उनको अब पक्षकार मुकदमा व हैसियत प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 नवालिग थे इसलिए उनको अब पक्षकार मुकदमा व हैसियत प्रतिवादीगण बनाया गया है। इसलिए वक्त वयनामा तारीख से ही वादी लगातार उक्त आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही रहा है और न ही प्रतिवादीगण अर्सा दराज से ग्राम पहरसर में हो रहते है। प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गैर खातेदारी के इन्द्राजात वेवुनियादी व दिखावटी है जिनका कोई कानूनी महत्व नही रहा है। लिहाजा वादी के हक में कब्जे काश्त की डिक्री पारित करते हुए नियमानुसार कस्टोडियन भूमि की राशि जमा करायी जाकर खातेदारी के इन्द्राजात वादी के हक में किए जाने के आदेश पारित करें तथा प्रतिवादीगण के हक में हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के है।

4. यह है वादी उक्त प्रकार एलौटी का क्रेता है तथा राज0 सरकार राजस्व ग्रुप 10 पुनर्वास/विभाग/क्रमांक–0–1 (15) राजस्वः–पुर्नवास /2009 जयपुर दिनॉक 11.02.2012 के अनुसार निष्क्रांत आवंटन नियम 1963 के नियम 5(ए) में विभागीय अधिसूचना दिनॉक 01.12.2011 परिशिष्ट –सी द्वारा संशोधित का नियमन शुल्क 1000 एवं 500/रूपया प्रति बीघा का प्रावधान दिया गया इस प्रकार उपरोक्त राशि जमा करवाकर वादी उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. यह कि कस्टोडियन भूमि से सम्बंधित केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के नियमों का निरसन हो चुका है केवल राज0 अधिनियम निष्क्रांत भूमि के स्थाई आवंटन नियम 1963 ही प्रभाव में है। इसलिए उक्त अधिनियम के तहत जारी खोले गये परिपत्र ही स्थानीय कृषक के हक में खातेदारी अधिकारी के लिए प्रभावी होगें।

6. यह कि वादी उक्त आराजी वर्णित पर अर्सा दराज वक्त वयनामा से ही काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है लेकिन कथित प्रतिवादीगण सं.1 लगायत 3 ने फोन पर व हल्का पटवारी ने उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दिनॉक 08.12.2019 को दी है अगर प्रतिवादी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद से ना हो सकेगी। वदी वजह वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज.

7. यह कि विनाय मुखास्कत व योम देने धमकी दिनॉक 08.12.2019 पैदा होकर वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है।
8. यह कि उपरोक्त मुकदमा प्रतिवादी संख्या 04 के खिलाफ भी है। लिहाजा धारा 80 जा0 दी0 का नोटिस दिया जाना भी आवश्यक है लेकिन अर्जेन्ट नेचर है इसलिए नोटिस समय अवधि में वादी की बेदखली स्पष्ट है लिहाजा दावा प्रस्तुत करने हेतु मजूरी लेने बाबत् प्रार्थना –पत्र 80(2) जा0 दी0 पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।
9. यह कि विवादित आराजी व पक्षकारान मुकदमा अदालत श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने व निवास करने से अदालत श्रीमान को वाद पत्र श्रवण करने का अधिकार हॉसिल है।
10. यह कि कोर्ट फीस व तलवाना नियमानुसार हस्व कायदा चस्पा करके पेश है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र निम्न तरीके से डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह कि आराजी वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर वादी को जरिये खरीद वयनामा तारीख 19.06.1972 से कब्जे की डिक्री पारित करते हुए नियमानुसार कस्टोडियन भूमि की राशि जमा कराई जाकर खातेदारी अधिकारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात काबिल कलमजन के है।

(ब) यह है प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादी की उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादी सं. 4 की तलवी सम्मन जरिये करवाई तथा तलवी होने के बाबजूद उपस्थित नही हुआ एवं 1 लगायत 3 को पुन तलवी जरिये रजि0 एडी से करवाई गयी , रजि0 एडी लौटकर आई तामील पूर्ण रूप से नही हुई , शेष प्रतिवादीगणो की तलवी पुनः अखबार साया राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति से कराई गई । वादीगण वकील द्वारा फॉर्म न. 3 के साथ अखबार साया दैनिक नवज्योति प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण स. 1 ल0 4 को बार–बार आवाज दिलवाई गयी बाबजूद उपस्थित नही हुए अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे गई । पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनॉक 26.10.2023 को पेश किये गये । वादी ने साक्ष्य पी0डब्लू0 1 श्री फतेहसिंह पुत्र श्री भूरीसिंह जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। एवं वादी द्वारा साक्ष्य पी0डब्लू0 2 राजेन्द्र सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। एवं वादी के समर्थन वकील द्वारा फार्म 3 के साथ निम्न रिकॉर्ड पेश किया– प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2075–2078 , प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल 2028 , प्रदर्श 3 वयनामा 1972, प्रदर्श 4 जमाबंदी सम्बत 2014–17, प्रदर्श 5 जमाबंदी सम्बत् 2028 , प्रदर्श 6 मिलान क्षेत्रफल 2060 एवं प्रदर्श 7 दैनिक नवज्योति 5 मार्च 2022 पेश किये गये। पत्रावली वास्ते बहस 26.10.

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालन दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

2023 एक तरफा में सुनी गई वादी वकील का कथन है कि उक्त विवादित आराजी हाल खसरा न0 216/0.44 जो कि सम्वत 2028 के साबिक ख0 न0 162/1वी 15 विस्वा से बना है। जिसका सम्वत 2028 से पूर्व का साविक ख0 न0 143/1वी 3 विस्वा + 144 /1वी 11 विस्वा था इस सम्बन्ध से नकल जमाबन्दी हाल व साबित मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व संवत 2028 पेश किये। उक्त आराजी बाकेग्राम पहरसर में स्थित है। सादिक खसरा नं0143/1वी 3 विस्वा + 144 /1वी 11 विस्वा पृथक से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पति/पिता के भाई ढाकूमल पुत्र श्री हेमन्तदास पहरसर दर्ज है। जिसका लाविदा औरत/औलाद फौत हो गये तथा प्रतिवादी के पति /पिता हक्कूमल का भी देहान्त उसके बाद हो चुका था आज वारिस के रूप में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 शेष रहे, तत्समय प्रतिवादी संख्या 2 व 3 नाबालिग थे एवं प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मीबाई बेवा हुक्कूमल ने वादी को दिनांक 19.06.1972 को रजिस्टर्ड वयनामा उक्त आराजी को वादी के हक में करा दिया है वादी दिनांक 19.06.1972 रजिस्टर्ड वयनामा से लगातार काबिज में रहा है तथा तभी से प्रतिवादीगण का उक्त आराजी का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। तथा काफी समय पूर्व से प्रतिवादी ग्राम पहरसर में भी नहीं रहते है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हक में हो रहे खातेदारी /गैरखातेदारी इन्द्राजात व बुनियादी दिखावटी है जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं रहा है लिहाजा वादी के हक में कब्जे कास्त के आधार पर नियमानुसार कस्टोडियन भूमि की राशि जमा कराई जाकर खातेदारी के इन्द्राजात वादी के हक में किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा प्रतिवादी के हक में हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं वादी एलॉटी विवादित आराजी का केता है तथा राजस्थान सरकार राजस्वराजस्व ग्रुप 10 पुनर्वास/विभाग/क्रमांक–0–1 (15) राजस्वः–पुर्नवास /2009 जयपुर दिनॉक 11.02.2012 के अनुसार निष्क्रांत आवंटन नियम 1963 के नियम 5(ए) में विभागीय अधिसूचना दिनॉक 01.12.2011 परिशिष्ट –सी द्वारा संशोधित का नियमन शुल्क 1000 एवं 500/रूपया प्रति बीघा का प्रावधान दिया गया है । इस प्रकार उपरोक्त राशि जमा करवाकर वादी द्वारा आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है भूमि कस्टोडियन का केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कानूनों का निरसन हो चुका है केवल राज0 अधिनियम निष्कांत स्थाई आवंटन 1963 बी प्रभाव में है। इसलिए उक्त अधिनियम के जारी किये गये परिलाभ ही स्थानीय कृषकों के हक में खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए अधिकारी होंगे,अन्य नहीं। वादी जरिये खरीद रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 19.06.1972 से कब्जा काश्त होने के कारण नियमानुसार कस्टोडियन भूमि की राशि जमा कराते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के है। आर आरडी 1990 पेज 35 का हवाला देते हुए कहा कि प्रकरण करतारसिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया में "Allotment- original allottes of the land did not deposit complete amount of demand –Allotment

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज.

made 1960- original allotees and thereafther transferees are in continuous possession of the land- held , it would be proper to permit petitioners (transferees) to continue to remain in possession of the land provided they make payment of balance amount together with interest – After depositing of the amount the land be mutated in the name of transferees." उक्त प्रकरण के अनुसार वादी राशि भी जमा कराने को तैयार है। अतः दावा वादी मुताबिक रजिस्टर्ड दिनांक 19.06.1972 से कब्जे काश्त होने के कारण वादी को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने विद्वान वकील की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित भूमि कस्टोडियन थी तथा प्रतिवादी से वादी ने दिनॉक 19.06.1972 को वयनामा खरीद किया है तथा तभी से वह काबिज होकर बतौर खातेदार काश्त कर रहा है । उसका कब्जा काश्त भी बयनामा के दिनॉक 1972 से आदिनॉक तक है वयनामा सब रजिस्टार नदबई से रजिस्टर्ड कराया गया है। जिसकी प्रति दावा में पेश की है। प्रतिवादीगण उसी समय प्रतिफल प्राप्त कर गॉव से कही चले गये जिनका अब कोई अता पता नही है। राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 10 पुनर्वास विभाग के परिपत्र प1 (15)राज–पुनर्वास/2009 जयपुर, दिनॉक 30.03.12 का हवाला देते हुए परिपत्र का हवाला दिया जिसमें वादी ने वयनामा से विवादित आराजी को क्रय किया है तथा उसी दिन से कब्जा काश्त साबित किया है जिसके मौखिक वयान व रिकार्ड भी प्रस्तुत किया है तथा बिन्दू सं. 3 के अनुसार राशि जमा कराने के लिए तैयार है। अतः वादी को उसका हक दिलाया जावे। कानूनी नजीर आर आरडी 1990 पेज 35 का हवाला देते हुए कहा कि प्रकरण करतारसिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया में "Allotment- original allottes of the land did not deposit complete amount of demand –Allotment made 1960- original allotees and thereafther transferees are in continuous possession of the land- held , it would be proper to permit petitioners (transferees) to continue to remain in possession of the land provided they make payment of balance amount together with interest – After depositing of the amount the land be mutated in the name of transferees."उक्त प्रकरण के अनुसार वादी राशि भी जमा कराने को तैयार है। एवं मुताबिक रिकार्ड प्रतिवादीगण के द्वारा 19.06.1972 को विवादित आराजी का वयनामा कराया है। वक्त वयनामा प्रतिवादी गैरखातेदार थे। खसरा न0 143 व 144 हाल खसरा न0 216 का बेचान प्रतिवादी ने 1972 को वादी के हक में वयनामा कराया है, तभी से विवादित भूमि वह वादी काबिज है, मौखिक बयानो से भी साबित होता है कि वादी का विवादित भूमि पर कब्जा रहा है, अतः कब्जा काश्त वादी का 50 वर्ष पुराना साबित होता है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज.

अतः दावा वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी बसरा नम्बरान 216/0.44 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर वादीगण को राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप 10 पुनर्वास विभाग के परिपत्र प1(15) राज–पुनर्वास/2009 जयपुर दिनॉक 30.03.2012 के अनुसरण में नियगानुसार बिन्दु संख्या 3 व 5 के अनुसार राशि राजकोष में जमा कर वादी को जरिये रजिस्टर्ड वयनागा दिनॉक 19.06.1972 के अनुसार डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादी गणों के नाग हो रहे इन्द्राजात को कलमजन करते हुए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 16.11.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सुशीला मीणा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर)